न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारी: मुकेश चौधरी, आर.ए.एस.)

प्रार्थी / अपीलार्थी

श्री अर्जुनसिंह पुत्र श्री ओटसिंह, जाति-राजपूत, निवासी-बडगांव, तह. शिवगंज, जिला-सिरोही

बनाम

अप्रार्थी / प्रत्यर्थी

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, शिवगंज, जिला- सिरोही

प्रार्थना पत्र संख्या: 02/2019

''प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम''

उपस्थिति:

1. अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार सुराणा, प्रार्थी अपीलार्थी की ओर से
2. पेरोकार सरकार, प्रत्यर्थी की ओर से

-: निर्णय :- **दिनांक 09 जुलाई, 2019**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी अपीलार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र तहसीलदार, शिवगंज द्वारा प्रकरण संख्या 249/2018 अर्न्तगत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 में पारित निर्णय दिनांक 25.9.2018 के विरुद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय में विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के कारण विलम्ब की अवधि को कन्डोन कराने हेतु भारतीय मियाद अधिनियम की धारा- 5 के अर्न्तगत अप्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है।

(2) प्रस्तुत अपील व प्रार्थना पत्र को दर्ज किया जाकर प्रत्यर्थी/अप्रार्थी को सम्मन/नोटिस जारी किये गये। प्रार्थना पत्र की सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी/अप्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित हुये। प्रकरण में प्रत्यर्थी/अप्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत नही हुआ।

(3) उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री सुराणा ने बहस के दौरान अपील व प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम बडगांव, पटवार हल्का बडगांव के खसरा संख्या 840/6 रकबा 6 बीघा भूमि पर अपीलार्थी का पुराना कब्जा-काश्त है तथा अपीलार्थी उक्त भूमि पर कृषि कार्य/काश्त करके अपना व परिवार का भरण पोषण निर्बाध रुप से एवं लगातार करता आ रहा है। यह कि हल्का पटवारी बडगांव की रिपोर्ट पर अपीलार्थी के विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, शिवगंज में दर्ज धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के प्रकरण संख्या 249/2018 में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को अतिक्रमण बाबत नोटिस जारी किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने नोटिस की अपीलार्थी को तामिल करवाये बिना ही अपीलार्थी के विरुद्ध जुर्माना, फसल नीलामी

.....पेज दो पर

न्यायालय अति० जिला कलेक्टर सिरोही (राज०)

अति. जिला कलेक्टर
सिरोही (राज.)

व बेदखली का एकपक्षीय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नही किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को जारी नोटिस में तामिल कुनिन्दा ने यह स्पष्ट रुप से रिपोर्ट अंकित की है कि अपीलार्थी परिवार सहित बम्बई में रहता है व मकान बन्द है, उसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को नोटिस की तामिल मानते हुए एकपक्षीय आदेश पारित किया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के प्रतिकूल है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को नोटिस की तामिल करवाये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित करने से अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी को सुनवाई तथा जवाब व साक्ष्य-सबूत प्रस्तुत करने का अवसर नही मिला है। अपीलार्थी भूमिहीन व्यक्ति है तथा विवादित भूमि पर अपीलार्थी का पुराना कब्जा होने से विवादित भूमि का नियमन कराने का अधिकारी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को नोटिस तामिल करवाये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित करने से अपीलार्थी को अपीलाधीन निर्णय दिनांक 25.9.2018 की पूर्व में जानकारी नही हो सकी। अपीलार्थी को अपीलाधीन निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 1.1.2019 को हल्का पटवारी, बडगांव के सहयोगी प्रवीण द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध जुर्माने की रकम की रसीद देकर रुपये तीन सौ प्राप्त करने पर हुई एवं उसी दिन अपीलार्थी ने अपीलाधीन निर्णय की नकल हेतु आवेदन प्रस्तुत किया तथा इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने के 10 दिन पूर्व नकले प्राप्त हुई। अपीलार्थी को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की नकल प्राप्त के बाद नकल प्राप्त होने की अवधि को घटाते हुए अपीलार्थी ने अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 01.1.2019 से अन्दर मियाद 30 दिन में इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत कर दी थी। अपीलार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत करने में किसी प्रकार की कोई लापरवाही या बदनियति नही रही है। अपीलार्थी को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में देरी हुई है जो क्षमा योग्य है। अत: अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को क्षमा करते हुए अपीलार्थी की अपील को स्वीकार किया जाकर अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिये जाने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे। जबकि पेरोकार सरकार ने यह व्यक्त किया कि अपीलार्थी को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी पूर्व से रही है। अपीलार्थी का विवादित भूमि पर पुराना कब्जा-काश्त नही है। अपीलार्थी द्वारा विवादित भूमि पर बोई गई फसल को नियमानुसार कब्जे में ली जाकर दिनांक 12.11.2018 को नीलाम किया गया एवं हल्का पटवारी द्वारा अपीलार्थी को विवादित भूमि के मौके से भौतिक रुप से बेदखल किया गया। इन सब तथ्यों की जानकारी अपीलार्थी को पूर्व से ही थी, फिर भी अपीलार्थी ने जानबूझ कर यह अपील विलम्ब से प्रस्तुत की है। अत: विलम्ब की अवधि क्षमा योग्य नही होने से अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र व अपील खारिज किये जावे।

(4) उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं न्यायालय पत्रावली तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि तहसीलदार, शिवगंज द्वारा प्रकरण संख्या 249/2018 अर्न्तगत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम में पारित निर्णय दिनांक 25.9.2018 के विरुद्ध

....पेज तीन पर

अति. जिला कलेक्टर
सिरोही (राज.)

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत अपीलार्थी की ओर से इस न्यायालय में प्रथम अपील दिनांक 13.2.2019 को प्रस्तुत की गई है, जो विलम्ब से प्रस्तुत की गई है।

इस संबंध में अपीलार्थी पक्ष का यह कथन है कि ''अपीलार्थी को अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, शिवगंज द्वारा पारित उक्त निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 01.1.2019 को हल्का पटवारी, बडगांव के सहयोगी द्वारा जुर्माने के रकम की रसीद देकर जुर्माना राशि प्राप्त करने पर हुई।'' जबकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विवादित भूमि ग्राम बडगांव, पटवार हल्का बडगांव के खसरा संख्या 840/6 रकबा 6 बीघा पर अपीलार्थी द्वारा अतिक्रमण कर बोई गई फसल को अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, शिवगंज द्वारा प्रकरण संख्या 249/2018 में पारित निर्णय दिनांक 25.9.2018 की पालना में कब्जे सरकार ली जाकर हल्का पटवारी, बडगांव द्वारा दिनांक 12.11.2018 को नीलाम किया गया है तथा उक्त फसल नीलामी फर्द दिनांक 12.11.2018 पर अपीलार्थी अर्जुन सिंह के भी हस्ताक्षर किये हुये है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 12.11.2018 से थी, उसके बावजूद भी अपीलार्थी ने अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 01.1.2019 को होने का गलत तथ्य अंकित करते जानबूझ कर अपील विलम्ब से प्रस्तुत की गई है, जिससे अपीलार्थी का मियाद बिन्दु पर वर्णित कथन विश्वनीय नही माना जा सकता। यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी ने अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब के संबंध में हुई देरी के प्रत्येक दिन का युक्तियुक्त एवं समुचित कारण भी प्रार्थना पत्र में नही दर्शाया है। ऐसी स्थिति में, उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन के अनुसार अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी क्षमा योग्य नही है।

अत: प्रार्थी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। तद्नुसार अपीलार्थी की अपील भी मियाद बाहर होने से खारिज की जाती है। निर्णय सुनाया गया।

(मुकेश चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सिरोही